न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 193 / 2022

अनवान : –

1. भागमल पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. डालचन्द पुत्र गगुराम जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नारायणी पत्नी फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. भागमल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मुन्नी पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिंह पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर।
10. सन्तोष पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सावित्री पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायलान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदार अधिवक्त **गैरसायलान**

निर्णय

दिनांकः 21/4/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता स0 77 / 63 की कुल 3.2890है0 भूमि एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता स0 78 / 64 की कुल 10.6260है0 भूमि के सायल एवं गैरसायल स0 1 ता 12 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज के कारण खाता एवं लगान तथा सींव डोल हेतु तनाजात बना रहता है इसलिए सायल गैरसायलान से वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसायलान की संयुक्त खाते [illegible] भूमि है [illegible] वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण गैरसायल सायल के हक हिस्से [illegible] निर्माण कर रहे है [illegible] सायल ने गैरसायलान को कहा कि जब तक वाद भूमि का ख[illegible] व लगान अलग–अ[illegible]ही हो जाता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:10 IST
Reason: SelfAttested

तब तक निर्माण आदि न करें एवं गैरसायलान अपने कृत्य से बाज नही आ रहे है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की वाद भूमि का जब तक खाता व लगान अलग नही हो जाता है तब तक निर्माण आदि करने से निषिद्ध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 77/63 की कुंल 3.2890है0 भूमि एवं खाता स0 78/74 की कुल 10.6260है0 भूमि में जब तक खाता व लगान अलग नही हो जाता है तब तक वाद भूमि पर किसी भी हिस्से पर निर्माण आदि न करें तथा गैरसायलान सायल के कब्जा काश्त में मदखलत बैजा न करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 77/63 की कुंल 3.2890है0 भूमि एवं खाता स0 78/74 की कुल 10.6260है0 भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि प्रयोग न किया जावें।

अप्रार्थी स0. 1 ता 5 एवं 7 ता 11 को सम्यक रूप से नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही और न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित। अतः अप्रार्थी स0. 1 ता 5 एवं 7 ता 11 के न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 1, 6 व 12 की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की विवादित सहखातेदारी भूमि सायल स्वयं व अन्य सहखातेदारों की अपनी अपनी ढाणियां बनाकर बिजल/पानी कनैक्शन सहित अपने अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते आ रहे है तथा उक्त भूमि में 3 ढाणियां लगभग 35 वर्ष पूर्व से बनी है जिनका भवन पुराना होकर जर्जर जर्जर हालात में हो चुका है तथा इनकी समय समय पर सभी काश्तकार अपनी-अपनी ढाणी की मरम्मत तथा लिपापोती करते आ रहे है। सहखातेदारों ने अपनी अपनी ढाणियों में राजस्थान सरकार की ढाणी पाणी योजना के तहत कुण्ड का निर्माण किया हुआ है तथा सभी काश्तकारों ने अपने कब्जा के अनुसार टयूबैल भी लगा रखे है जिससे व अपने कब्जा काश्त की भूमि पर सिंचाई करते आ रहे है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 65 के मुताबिक सुधार करने के लिए प्रावधान बनाया गया है जिसमें सहखातेदार काश्तकार अपनी सम्पूर्ण हिस्से में से 1/50 हिस्स भूमि में धारा 5 के उपखण्ड (19) के अनुसार भवन, कृषि भण्डार, पशुओं का बाड़ा बनाने के लिए प्रावधान है जिसके अनुसार ही 40X50 फुट में भवन का निर्माण किया गया है जो हमारे हिस्से के मुताबिक कम है तथा इसी अनुसार 1/50 हिस्से पर निर्माण हेतु पाबंद नही किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय एवं अपूर्णीय क्षति का मामला गैरसायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होगा, प्रार्थना पत्र में तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 77/63 की कुंल 3.2890है0 भूमि एवं खाता स0 78/74 की कुल 10.6260है0 भूमि शामिल खाते में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उभयपक्ष रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 65 के मुताबिक सुधार करने के लिए प्रावधान बनाया गया है जिसमें सहखातेदार काश्तकार अपनी सम्पूर्ण हिस्से में से 1/50 हिस्सा भूमि में धारा 5 के उपखण्ड (19) के अनुसार भवन, कृषि भण्डार, पशुओं का बाड़ा बनाने का प्रावधान है इसी अनुसार कुल भूमि के 1/50 हिस्से में निर्माण कर सकता है। अप्रार्थीगण को बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति के वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोग न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में पुनः निर्माण हेतु तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चित्रप्रति पेश की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नया निर्माण नही कर पहले से निर्मित मकानों/ढाणी की ही मरम्मत/पुनर्निर्माण की जा रही है। पुनः निर्माण हेतु तहसीलदार नोहर को भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नही है। लेकिन कुल भूमि के 1/50 हिस्सा से अधिक में और नया निर्माण कार्य किया जा रहा है तो प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थी को नये निर्माण हेतु निषिद्ध किया जाना उचित है जबकि पूर्व में निर्मित मकान/ढाणी में मरम्मत/पुनर्निमाण करने हेतु प्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 77/63 की कुंल 3.2890है0 भूमि एवं खाता स0 78/74 की कुल 10.6260है0 भूमि में नयी जगह पर नया निर्माण कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के नही करने हेतु ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। लेकिन पहले से निर्मित मकान/ढाणी की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने हेतु अप्रार्थीगण स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:10 IST
Reason: SelfAttested